


अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौची(धनबाद)

अभिलेख सं० 18(X) / 2016-17

वाद का प्रकार :- बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कारवाई से संबंधित।

तिथि	पदाधिकारी आदेश	कृत का
25/7/16	<p>झारखण्ड सरकार के झापाक 2074/रा० दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू-अर्जन- सह - विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या- 3 - खा०म०निति - 119/85/2308/रा० दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागगीय परिपत्र संख्या - 914/रा० दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र०अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-</p> <p>मौजा <u>खरनी</u> थाना न० <u>153</u> खाता न० <u>205</u></p> <p>प्लॉट न० <u>1630, 1773, 1774, 1780</u> रकबा <u>1.17</u> एकड़ की</p> <p>भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं० <u>5</u> के पृष्ठ संख्या <u>436</u> पर जमाबंदी रैयत <u>शारदामुस सरकार</u> के नाम से कायम है।</p>	
	<p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p>	
	<p>हल्का कर्मचारी एवं प्र०अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p>	
	<p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p>	
	<p>अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशासित किया जाए।</p>	
	<p>अभिलेख दिनांक <u>1.8.16</u> को उपस्थापित करें।</p>	
	<p align="right">  अंचल अधिकारी, तोपचौची <u>25.7.16</u> </p>	

अभिलेख उपस्थापित । तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया जाता है । इस संबंध में मीन लाल सिंह द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थित जो अभिलेख में संलग्न है । लगान वर्ष..... तक भुगतान किया गया है ।

मौजा खरनी थाना नं० 153 खाता संख्या 205

प्लॉट संख्या 1630, 1773 रकबा 1.17 ए० धूर कुल 1.17 ए०
1774, 1780

धूर भूमि क्रमशः प्रतिवादी के नाम पर जमाबंदी दर्ज है । पंजी-11 में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरान्त निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं :-

1. जमाबंदी सृजित करने संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया ।
2. लगान निर्धारण / जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा / सादा हुकुमनामा आदि कागजात नहीं पाया गया ।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है ।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है ।

अतः मौजा खरनी थाना नं० 153

खाता संख्या 205 प्लॉट संख्या 1630, 1773 रकबा 1.17 ए० धूर, कुल
1774, 1780
धूर, भूमि जो प्रतिवादी सुधी माँझी के नाम पर पंजी-11 में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदनुसार अभिलेख क्रॉस कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहती, धनबाद को भेजे ।

लेखापित एवं संशोधित

27/11/20
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

27/11/20
अंचल अधिकारी

तोपचाँची ।

18

4000
2517

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम - शुक्रा मांजी पिता रामभाजी
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण -

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
शुक्रा	153	205	1630	1.17 ए०
			1773	
			1774, 1780	

3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या 5 पृष्ठ सं० 436 पर कायम है -
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है - 88-89
5. खतियान के अनुसार उल्लेखित भूमि के खातेदार का नाम - आरबज काका
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है - 9-9-92
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम - 13/8/88
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती - 9-9-92)
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी) - 9-9-92

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	8293312	27.7.20	99.2000

[Handwritten signatures and initials]

(2)

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचौंची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं० 14.(X) / 2016-17 (अन्तर्गत धारा - 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

सुभा मीना

पिता - 214 मीना

ग्राम - 292A पॉ० तोपचौंची

धाना - तोपचौंची जिला - धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा 292A
धाना नं० 153 खाता नं० 205 प्लॉट नं० 1630
रकबा 1.217 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का नं० के पंजी II
भाग के पृष्ठ 436 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र०अंचल
निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त सदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त संबंध में दिनांक 1.8.16 को समय 11:00 बजे
पूर्वा० में उक्त भूमि का रिटर्न -I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा
निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा
निर्गत सजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो
आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अघोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में
उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको
कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते
हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी
जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथि :-

स्थान :- तोपचौंची



[Signature]
अंचल अधिकारी

तोपचौंची

[Signature]
25.7.16

[Signature]
अंचल अधिकारी